न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 00031/2019 **दायर दिनांकः 11/10/2019**

उनवान

1. बापूसिंह पिता शंकरलाल उम्र 40 जाति गूजर निवासी छप्पिया तहसील गंगधार
2. बादरसिंह पिता शंकरलाल उम्र 37 जाति गूजर निवासी छप्पिया तहसील गंगधार
3. विजयसिंह पिता शंकरलाल उम्र 42 जाति गूजर निवासी छप्पिया तहसील गंगधार
4. कैलाशसिंह पिता शंकरलाल उम्र 28 जाति गूजर निवासी छप्पिया तहसील गंगधार
5. रूकमणबाई पुत्री शंकरलाल उम्र 25 जाति गूजर निवासी छप्पिया तहसील गंगधार
6. रतनबाई पत्नी स्व. शंकरलाल उम्र .. जाति गूजर निवासी छप्पिया तहसील गंगधार

वादीगण

बनाम

1. कचरूसिंह पिता नाथूसिह उम्र 55 जाति गूजर निवासी छप्पिया तहसील गंगधार
2. भगवानसिंह पिता कचरूसिंह उम्र 45 जाति गूजर निवासी छप्पिया तहसील गंगधार
3. करणसिंह पिता कचरूसिंह उम्र 40 जाति गूजर निवासी छप्पिया तहसील गंगधार
4. उंकारसिंह पिता कचरूसिंह उम्र 36 जाति गूजर निवासी छप्पिया तहसील गंगधार
5. श्यामसिंह पिता कचरूसिंह उम्र 30 जाति गूजर निवासी छप्पिया तहसील गंगधार
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील गंगधार

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0

आदेश

निर्णय दिनांक 19.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण के खाते कब्जे की आराजी ग्राम छप्पिया पटवार मण्डल पारापीपली तहसील गंगधार में जमाबन्दी संवत 2072–75 की खाता संख्या 81 का बंटवारा न्यायालय के आदेश दिनांक 27.09.2016 वादीगण एवं खाताधारक बैंक भारतीय स्टेट बैंक के मध्य हो चुका है। इस बंटवारे के आधार पर वादीगण के हिस्से एवं कब्जे में खसरा नम्बर 61/1 रकबा 1.16 बीघा, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 70/1 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 157/1 रकबा 1.07 बीघा, खसरा नम्बर 271 रकबा 3.02 बीघा, खसरा नम्बर 280 रबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 284 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 303 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 304/1 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 305 रकबा 2.03 बीघा, खसरा नम्बर 542 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 543 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 565 रकबा 2.12 बीघा, खसरा नम्बर 590 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नम्बर 591 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नम्बर 592 रकबा 1.02 बीघा कुल

उपखण्ड अधिकारी
गंगधार (झालावाड़)

किता 19 रकबा 21.05 बीघा स्थित है। जिसमें से खासरा नम्बर 304/1 रकबा 1 बीघा के सम्बन्ध में यह वाद पेश किया जा रहा है। इस कारण वाद पत्र में खसरा नम्बर 304/1 रकबा 1 बीघा को वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। नकल जमाबन्दी संवत 2072–75 संलग्न वाद पत्र है। वादग्रस्त आराजी के वादीगण खातेदार कृषक है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर एडवर्स पजेशन है। वादीगण ही वादग्रस्त आराजी का काबिज काश्त है। वादीगण का एलानिया साधिकार व शान्तिपूण सालों से प्रतिवादीगण व अन्य ग्राम वालों की जानकारी में कब्जा चला आ रहा है। आज भी वादीगण अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है। प्रतवादी नम्बर 1 लगायत 5 को कोई सम्बन्ध नहीं है। और वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 को कोई सरोकार नहीं है। पूर्व में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 बाहुबली है एवं बलशाली है तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 304/1 1 बीघा पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी हएवं हांकने जोतने से मना किया एवं जबरन कब्जा करने की धमकी दे रहे है खेत पर आने पर जान से मारने की धमकी दे रहे है। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गंगधार में की परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 बाहुवली एवं बलशाली है तथा झगडालू प्रवृति के लोग है जबरन हिंसा व आंतक के बल पर वादीगण के हिस्से एवं खाते कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल करना चाहत है एवं वादीगण के खाते कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 304/1 रकबा 1 बीघा में प्रवेश र मजाहमत व मदाखलत करना चाहते है जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 में आज से 10 दिन पूर्व वादीगण के खाते कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 304/1 रकबा 1 बीघा पर आकर खेत हांकोगे तो खेर नहीं है। हम कब्जा करके रहेगें अगर वे ऐसा करने में सफल हो गये तो वादीगण अपने हक अधिकार की भूमि से वंचि हो जावेगें जिससे वादीगण का दावा करना व्यर्थ हो जायेगा वादीगण बर्बाद हो जायेगें तथा वादीगण को ऐसी परिमित क्षति होगी जिसका द्रव्य में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। उक्त कारणों से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। सुविधाओं का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। कारण आज से 10 दिन पूर्व जब प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 वादग्रस्त खेत पर आकर धमकी दी एवं खेत हांकने जोतने से मना किया एवं जबरन कब्जा करने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी नम्बर 6 लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद उचित कोर्ट फीस पर अन्दर अवधि पेश है। वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादीगण निम्न प्रार्थना करते हैः–

उपखण्ड अधिकारी
गंगधार (झालावार

(अ) डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 प्रदान कर प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 304/1 रकबा 1.00 बीघा वाके ग्राम छप्पिया तहसील गंगधार पर जबरन मदाखलत व मजाहमत न करे तथा वादीण के हांकने जोतने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। एसेवा काय न तो स्वयं करे और ना ही अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट परिवार के किसी भी सदस्यों से भी नहीं करवाये।

(ब) दौराने वाद प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने में सफल हो जावे तो उन्है बेदखल कर कब्जा वाकई वादीगण को दिलवाया जावे।

(स) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(द) अन्य राहत जो उचित हो वह भी वादीगण के पक्ष में जारी की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण ओर से वकील श्री रामचन्द्रसिंह झाला उपस्थित हुए। अभिभाषक प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करने हेतु अनेको अनेक अवसर दिये गये। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश नहीं करने पर दिनांक 28.03.2022 को जवाबदावा बन्द किया गया। प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने से इन्कार करने साक्ष्य प्रतिवादी भी बंद किये गये।

3. वादीगण द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य वादी के तहत pw 1 बापूसिंह पिता शंकरलाल उम्र 40 जाति गूजर निवासी छप्पिया का शपथ पत्र पेश किया तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम छप्पिया की जमाबंदी संवत 2072–72 (प्रदर्श–1), खसरा नक्शा (प्रदर्श–2), खसरा गिरदावरी (प्रदर्श–3) प्रस्तुत किये।

4. अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम छपिया पटवारी हल्का पारापीपली की विवादित आराजी खाता संख्या 81 कुल किता 32 कुल रकबा 43.01 बीघा का वादीगण व भारतीय स्टेट बैंक (बंधक बैंक) के मध्य न्यायालय के आदेश व डिक्री की पालना में वर्ष 2016 में खाता विभाजन हो गया था जिसमें खसरा नम्बर 61 रकबा 1.06 बीघा, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 157 रकबा 1.07 बीघा, खसरा नम्बर 271 रकबा 3.02 बीघा,

उपखण्ड अधिकारी
गंगधार (झालावाड़)

खसरा नम्बर 280 रबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 284 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 303 रकबा 0. 13 बीघा, खसरा नम्बर 304 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 305 रकबा 2.03 बीघा, खसरा नम्बर 542 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 543 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 565 रकबा 2.12 बीघा, खसरा नम्बर 590 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नम्बर 591 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नम्बर 592 रकबा 1.02 बीघा कुल किता 19 रकबा 21.05 बीघा वादीगण के पृथक खाते दर्ज हुए थे जबकि शेष आराजी खसरा नम्बर 156/1 रकबा 0.1770 है0, खसरा नम्बर 157/1 रकबा 0.1897 है0, 263 रकबा 0.3162 है0, खसरा नम्बर 264 रकबा 0.1265 है0 खसरा नम्बर 265 रकबा 0.0.126 है0, खसरा नम्बर 271/1 रकबा 0.7841 है0, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.1644 है0, 284/2 रकबा 0.7461 है0, खसरा नम्बर 304/1 रकबा 0.1265 है0, खसरा नम्बर 305/1 रकबा 0.4300 है0, खसरा नम्बर 562 रकबा 0.0885 है0, खसरा नम्बर 563 रकबा 0.5059 है0, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.2782 है0, खसरा नम्बर 565/1 रकबा 0.5059 है0, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.1770 है0, खसरा नम्बर 61/1 रकबा 0.3415 है0, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.0379 है0, खसरा नम्बर 70/1 रकबा 0.2782 है, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.0379 है0, 72 करबा 0.0379 है0 कुल किता 20 कुल रकबा 5.36 है0 यानि करीब 21 बीघा 04 बिस्वा भूमि भारतीय स्टेट बैंक (बंधक बैंक) के पृथक खाते दर्ज हुई थी। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि वादीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 304/1 रकबा 1.00 बीघा वर्षो से वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। लेकिन अजनबी व्यक्ति प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5, जिनका उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। खसरा नम्बर 304/1 रकबा 1.00 बीघा पर जबरन हंकाई–जुताई कर कब्जा करने की धमकी दे रहे है। जिसकी कई बार पुलिस थाना गंगधार में रिपोर्ट कराई गई लेकिन पुलिस द्वारा भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रतिवादीगण बाहुबली है और दादागिरी के बल पर वादीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 304/1 रकबा 1.00 बीघा पर कब्जा करने पर आमादा है और यदि प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया तो वादीगण को मानसिक व आर्थिक रूप से अपूरणीय क्षति होगी जिसकी द्रव्य में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अजनबी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम छप्पिया के **खसरा नम्बर 304/1 रकबा 1.00 बीघा** पर कब्जा न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे।

5 अभिभाषक प्रतिवादीगण ने न तो कोई बहस पेश की और न ही अभिभाषक वादीगण की बहस पर कोई आपत्ति पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
गंगधार (झालावार

6 अभिभाषक वादीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम छप्पिया की जमाबन्दी संवत 2072–75 प्रदर्श–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 81 कुल किता 32 कुल रकबा 43.01 बीघा वादीगण व भारतीय स्टेट बैंक (बंधक बैंक) शाखा चौमहला के हिस्सा 1/2–1/2 दर्ज रिकार्ड है, जिसका न्यायालय आदेश व डिक्री से वर्ष 2016 में दोनों पक्षों के मध्य खाता विभाजन हुआ, जिसमें खसरा नम्बर 61 रकबा 1.06 बीघा, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 157 रकबा 1.07 बीघा, खसरा नम्बर 271 रकबा 3.02 बीघा, खसरा नम्बर 280 रबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 284 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 303 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 304 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 305 रकबा 2.03 बीघा, खसरा नम्बर 542 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 543 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 565 रकबा 2.12 बीघा, खसरा नम्बर 590 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नम्बर 591 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नम्बर 592 रकबा 1.02 बीघा कुल किता 19 रकबा 21.05 बीघा वादीगण के खाते तथा खसरा नम्बर 61/1 रकबा 1.07 बीघा, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 70/1 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 156/1 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नम्बर 157/1 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नम्बर 263 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नम्बर 264 रबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नम्बर 271 रकबा 3.02 बीघा, खसरा नम्बर 280/1 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 284/1 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नम्बर 304/1 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 305/1 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नम्बर 562 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नम्बर 563 रकबा 2.00 बीघा, खसरा नम्बर 564 रकबा 1.02 बीघा, खसरा नम्बर 565/1 रकबा 2.00 बीघा, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.14 बीघा, कुल किता 20 रकबा 21.04 बीघा भारतीय स्टेट बैंक शाखा चौमहला के खाते तथा खसरा नम्बर 106 रकबा 0.06, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.01 बीघा खसरा नम्बर 566 रकबा 0.05 बीघा किता 3 कुल रकबा 0.12 बीघा पूर्ववत शामलाती दर्ज होने का अंकन है। यह खाता विभाजन जरिये नामा0 संख्या 455 दिनांक 27.09.2016 से प्रभावी होना अंकित है। वादीगण द्वारा न्यायालय के उक्त आदेश व डिक्री की कोई सत्यप्रति पेश नहीं की गई है केवल जमाबंदी प्रदर्श–1 में इसका अंकन है।

उपखण्ड अधिकारी
बंगधार (झालावार

7. ग्राम छप्पिया पटवार हल्का पारापीपली की विवादित आराजी की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2077–80 के अनुसार हाल खाता संख्या 90 कुल किता 19 कुल रकबा 5.37 है0 भूमि वादीगण के खाते दर्ज है। इस प्रकार हाल खाता संख्या 79 कुल किता 20 कुल रकबा 5.36 है0 भूमि भारतीय स्टेट बैंक (बंधक बैंक) शाखा चौमहला के खाते दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खसरा नम्बर 304 रकबा 0.2529 है0 यानी 1.00 बीघा भूमि दिशा पश्चिम वादीगण के खाते दर्ज है। खसरा नम्बर 304 रकबा 1.00 बीघा भूमि वादीगण के नाम एव खसरा नम्बर 304/1 रकबा 0.10 बीघा आराजी भारतीय स्टेट बैंक शाखा चौमहला (बंधक बैंक) के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादीगण द्वारा ग्राम छपिया के खसरा नम्बर 304/1 रकबा 1.00 बीघा पर धारा 188 आरटीएक्ट के अधीन अनुतोष चाहा है जबकि खसरा नम्बर 304/1 वादीगण के खाते दर्ज न होकर भारतीय स्टेट बैंक (बंधक बैंक) शाखा चौमहला के खाते दर्ज है। वाद पत्र के मध्य क्रम 1, 4, 5 व 6 में भी वादीगण ने खसरा नम्बर 304/1 को अपने खाते की आराजी होना अंकित किया गया, जोकि गलत है। अतः किसी अन्य खातेदार की भूमि पर धारा 188 आरटीएक्ट के अधीन अनुतोष प्राप्त करने का वादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि खसरा नम्बर 304/1 पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया है या करने को आमादा है तो खातेदार भारतीय स्टेट बैंक शाखा चौमहला को ही अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार है। वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 304/1 का रकबा 1.00 अंकित किया जा है जबकि खसरा नम्बर 304/1 का रकबा 0.10 बीघा यानी 0.1265 है0 दर्ज है। हाल जमाबन्दी के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा नम्बर 304 जोकि वादीगण के खाते दर्ज है– का रकबा 1.00 बीघा यानी 0.2529 है0 दर्ज है। अभिभाषक वादीगण द्वारा भी बहस के दौरान भी खसरा नम्बर 304/1 पर ही अनुतोष चाहा है। यदि वाद पत्र में वादीगण द्वारा टाईपिंग त्रुटिवश गलत खसरा नम्बर अंकित किया तो इसे साक्ष्य पेश करने से पूर्व दुरूस्त कराया जा सकता था। बहस के दौरान भी अभिभाषक वादीगण ने खसरा नम्बर 304/1 पर अनुतोष मांग की है।

8. पत्रावली में पेश जमाबन्दी संवत 2072–75 प्रदर्श–1 एवं हाल जमाबन्दी संवत 2077–80 के अवलोकन से जाहिर है कि वादीगण का वह खसरा नम्बर जिसका रकबा 1.00 बीघा यानी 0.2529 है0 है, खसरा नम्बर 304/1 न होकर खसरा नम्बर 304 है। जो वाद पत्र में टाईपिंग त्रुटिवश अंकित होना जाहिर होता है। यदि गुणावगुण के बजाए खसरा नम्बर की टाईपिंग त्रृटि मात्र के आधार पर वादीगण के वाद पत्र को खारिज किया जाता है तो यह न्याय की मूल भावना के अनुकूल नहीं होगा। प्रतिवादीगण के खाते में न तो खसरा नम्बर 304 दर्ज है और न ही खसरा नम्बर 304/1 दर्ज है। अतः प्रतिवादीगण को कानूनन न तो खसरा नम्बर 304 पर और न ही

उपखण्ड अधिकारी
गगधार (झालावार

खसरा नम्बर 304/1 पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू–1 व पीडब्ल्यू–2 ने अपने सशपथ बयानों में स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण को खसरा नम्बर 304 पर (त्रृटिवश 304/1) पर हंकाई–जुताई करने से रोक दिया है और कब्जा कर बेदखल करने की धमकी दी है। **अतः ऐसी परिस्थिति में न्यायाहित में यह न्यायालय धारा 209 आरटीएक्ट में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करना उचित समझता है।**

9. धारा 209 आरटीएक्ट के प्रावधान का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है :– **Sec. 209. Granting any relief to which plaintiff is entitled**— "In any suit or proceeding, the court may, on the application of the plaintiff and after framing the necessary issues, grant, any relief which the court is competent to grant and to which it may find the plaintiff entitled, notwithstanding that such relief may not have been asked for in the plaint or application : Provided that, after framing such issues, the court shall, on the request of either party, grant reasonable time or the production of evidence".

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह साबित है कि ग्राम छपिया की विवादित आराजी खसरा नम्बर 304 रकबा 1.00 बीघा वादीगण के खाते दर्ज है अर्थात वादीगण रिकोर्डेड खातेदार कृषक है। उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कोई भी हक व अधिकार साबित नहीं है। अतः प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने है या करने की धमकी का कोई अधिकार नहीं है और अगर वे बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के ऐसा करते है तो वादीगण को अपने खाते व कब्जे की आराजी में अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें और उन्हे अपूरणीय क्षति उठानी पडेगी। प्रकरण में अनावश्यक वाद बहुलता बढेगी। ऐसे अतिक्रमियों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित होगा। धारा 188 आरटीएक्ट के प्रावधानों का अवलोकन निम्नानुसार है :– **188. Injunction against wrongful ejectment**— (1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction. (2) The court may after making the necessary enquiry

उपखण्ड अधिकारी
बगधार (झालावार

grant a perpetual injunction in the following cases, namely- (a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion. (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

11. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ग्राम छपिया की विवादित कृषि आराजी खसरा नम्बर 304 रकबा 1.00 बीघा यानी 0.2529 है0 के सम्बन्ध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ग्राम छपिया की विवादित कृषि आराजी खसरा नम्बर 304 रकबा 1.00 बीघा यानी 0.2529 है0 के सम्बन्ध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द जाता है कि वह वादीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 304 रकबा 0.2529 है0 पर न तो स्वयं दखल देवें और न ही अपने प्रतिनिधि से दिलावें। तहसीलदार गंगधार को आदेश दिये जाते है कि यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादीगण की उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया हो तो उन्है बेदखल कर वादीगण को शीघ्र कब्जा सौंपा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12..2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
गंगधार जिला झालावाड

उपखण्ड अधिकारी
गंगधार (झालावाड़)